रोहतक पंचायत ने मुसलमानों के टोपी पहनने, दाढ़ी रखने और नमाज पढ़ने पर लगाई रोक

जनज्वार, हरियाणा। आश्चर्यजनक तो यह है कि पंचायत का दबाव इतना तगड़ा था कि इस फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले धोबी समाज ने पंचायत को 11 हजार भेंट कर इस फैसले का स्वागत किया।

हरियाणा के रोहतक जिले के टिटौली गांव की पंचायत ने एक ऐसा अमानवीय फैसला सुनाया है, जिसके बारे में सोचकर ही लगता है क्या वाकई हम एक सहिष्णु, लोकतांत्रिक और सभी धर्मों को बराबरी की नजर से देखने वाले समाज में रहते हैं, या फिर हिंदू तालिबान में। पंचायती फरमान को सुन यह भी लगता है कि ऐसे ही फैसले आते रहेंगे तो बीजेपी—संघ के हिंदू राष्ट्र की सोच जल्द ही फलित हो जाएगी।

हिंदू तालिबान की मिसाल पेश करने वाला हालिया फैसला आया है खाप पंचायतों के लिए कुख्यात हरियाणा के रोहतक स्थित टिटोली गांव की पंचायत से, जहां की पंचायत ने मुस्लिमों को फरमान सुनाया है कि वे लोग न तो दाढ़ी रखेंगे और न टोपी पहनेंगे। इतना ही नहीं वे लोग सार्वजनिक रूप से नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे कि उन्हें अपने बच्चों के नाम उर्दू—अरबी के बजाय हिंदी जुबान में ही रखना होगा। कुल मिलाकर उन्हें अपनी मजहबी पहचान छुपाकर रखनी होगी।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्लिमों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाता यह फैसला टिटोली की पंचायत ने 500 लोगों की मौजूदगी में लिया। यही नहीं जब यह फैसला लिया जा रहा था तब पंचायत में कई मुस्लिम धर्म के लोग भी मौजूद थे।

जानकारी के मुताबिक टिटौली गांव के सरकारी स्कूल के पास 22 अगस्त को ईद-उल-अजहा के मौके पर एक बछड़े की हत्या करने की खबर आई, तो ग्रामीणों ने बछड़े को मारने का आरोपी गांव के धोबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले यामीन खोकर को बताया। इसी संबंध में पिछले मंगलवार को एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया।

खबरों के मुताबिक ही कथित आरोपी यामीन खोकर को पंचायत ने गांव निकाला देकर गांव में प्रवेश पर आजवीन प्रतिबंध लगा दिया है और गांव में रहने वाले मुसलमानों को अपनी मजहबी पहचान छिपाकर रहने का फैसला सुनाया है। ताज्जुब की बात तो यह कि जब पंचायत यह तालिबानी फैसला सुना रही थी तो उसे आम सहमति से मंजूरी भी मिल गई और मुस्लिमों ने भी शायद डरकर इसपर अपनी सहमति दे दी, क्योंकि पंचायत ने जब यह फैसला सुनाया तो जिस समाज धोबी समुदाय से गौकशी का आरोपी यामीन आता है, उसके लोगों ने पंचायत का आभार भी व्यक्त किया, शायद वैमनस्यता और हिंसा फैलने के डर से। पंचायत के इस फैसले के बाद धोबी समुदाय के जयवीर पुत्र रत्न ने तो मौके पर ही गोशाला के लिए 11000 हजार रुपये नकद दे दिए।

सामाजिक—राजनीतिक कार्यकर्ताओं की राय में रोहतक जिले के टिटौली गांव में पंचायत द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने, टोपी न पहनने, बच्चों के नाम अपनी मर्जी से न रखने की शर्तें थोपने वाला फैसला गैरकानूनी, असंवैधानिक, मानवाधिकार का हनन करने वाला है। साथ ही यह भारत की संस्कृति व विचार पर भी गहरी चोट है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुसार हमारा देश लोकतांत्रिक, सेक्युलर, बहुलतावाद में विश्वास करने वाला है, जहां हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाता है। मगर इस घटना के बाद यह सवाल और गहरा गया है कि क व्यवहार में उक्त न्यायप्रिय सिद्धान्त लागू हो पा रहे हैं?

इस फैसले पर गांव के धोबी समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें यह राजीनामा मंजूर है। गांव में किसी तरह के तनाव की खबर भी नहीं है, मगर प्रशासन नजर बनाए हुए है।

इस तुगलकी फरमान पर स्वराज अभियान के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजीव गोदारा कहते हैं, यदि प्रशासन को उक्त फैसले की खबर थी तो खबर का संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई की? यदि खबर झूठी है तो क्या सरकार ने अखबार से कहा कि वे खबर का खंडन छापे? क्योंकि इस खबर से समाज में वैमनस्य बढने की भरपूर संभावना है। अगर किसी पंचायत ने इस तरह का फैसला किया है तो सरकार ने उस पंचायत में शामिल होने वाले लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

राजीव गोदारा आगे कहते हैं, हरियाणा राज्य सरकार का फर्ज है कि खबर में छपी घटना की तुरन्त से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस समाज पर शर्तें थोपकर उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई है, यदि वह पूरा समाज भी इस फैसले को स्वीकार कर ले तब भी इस तरह के अमानवीय व गैर संवैधानिक फैसले को लागू करने की छूट नहीं दी जा सकती, बल्कि फैसला करने वालों के खिलाफ तुरन्त फौजदारी कार्रवाई की जानी बनती है।

भारत का संविधान देश के हर नागरिक को अपना धर्म अपनाने व उसके अनुरूप जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान व कानून के अनुसार व्यक्तियों का कोई भी समूह व्यवस्था का संचालक बन कर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। न ही किसी नागरिक या समूह पर अपने फैसले थोप सकता।

सामाजिक—राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक किसी ताकतवर समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह पर शर्तें लगाना अपराध है। किसी भी तरह की पंचायत द्वारा लिये गए गैरकानूनी फैसले से समाज के हिस्से में डर का भाव पैदा होता है तब वह वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी असंवैधानिक व गैर कानूनी निर्णय को मानने की बात कह कर सुरक्षित होने की राह खोजता है। यह शासन—प्रशासन का असफलता को ही उजागर करता है।

सवाल यह भी उठता है कि सार्वजनिक जगह का प्रयोग न करने की कार्यवाही एकतरफा क्यों व कैसे की जा सकती है? धर्म को मानने का मौलिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने की छूट क्यों नहीं दी जा सकती? यदि बार बार धार्मिक उद्देश्यों के लिय सार्वजनिक जगह प्रयोग की जाती है तो मुस्लिम नमाज को वही इजाजत क्यों नहीं?

गौरतलब है कि हरियाणा में मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। कई साल पहले कैथल में मस्जिद में तोड़फोड़ की कई घटनाए हुई थीं, तो तीन महीने पहले गुरुग्राम में खुली जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर खासा विवाद हुआ था।

तीन महीने पहले हुए विवाद के बाद राज्य की भाजपानीत खट्टर सरकार के खुली जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कई और जगहों पर भी नमाज पढ़ने के लेकर विवाद पैदा हुआ था। इसी साल जुलाई में करनाल में मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हमला किया गया था।

यही नहीं एक युवक की दाढ़ी कटवाने का मामला भी हरियाणा में ही सामने आया था। यह वही हरियाणा है जहां जुलाई महीने में ही अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में हुए बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय नहीं बोलने के आरोप में एक मुस्लिम व्यापारी को सार्वजनिक रूप से बुरी तरह पीटा गया था।

वो चाहते हैं कि एक आवाज हो जो उन्हीं की आवाज हो- भारत भूषण,

समानता से खौफ खाते हैं मनुवाद के पैरोकार- सीमा आजाद

बाटला हाउस की दसवीं बरसी पर रिहाई मंच ने किया सम्मेलन, 'सदमा, साजिश और सियासत-बाटला हाउस के दस साल' रिपोर्ट जारी

लखनऊ 19 सितम्बर 2018। बाटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की दसवीं बरसी पर 'मानवाधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वालों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ' यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में रिहाई मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन में 'सदमा, साजिश और सियासत- बाटला हाउस के दस साल'' शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ के बाद विभिन्न राज्यों और जनपदों से गिरफ्तार नौजवानों के मुकदमों की ताज़ा स्थिति, घरेलू हालात, उन्हें अदालती दांवपेंच में उलझा कर कैदी बनाए रखने की साज़िशों पर विस्तार से चर्चा की गई। गिरफ्तार और लापता नौजवानों से सम्बंधित व्यक्तिगत जानकारी भी रिपोर्ट का हिस्सा है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण ने कहा कि सरकार हर आवाज़ को खामोश करना चाहती है, ऐसा नहीं है बल्कि वह कुछ आवाज़ों की गूंज को और बढ़ाना चाहती है। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वालों, हथियारबंद गौरक्षकों, हिंदू-मुस्लिम शादियों को 'लव जिहाद' कहने और अंर्तजातीय विवाह को रोकने वालों, सड़क पर नमाज़ पढ़ने से रोकने और जागरण एवं कांवड़ियों द्वारा हाईवे जाम कर देने, पाकिस्तान भेजने वालों, और लड़कियों को जीन्स पहनने और मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकने वालों की आवाज़ बंद नहीं करना चाहते और यह सभी को मालूम है कि वह कौन लोग हैं।

उसके विपरीत सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों, हाशिये पर खड़े दलित, आदिवासी समाज के हक-हकूक की बात करने वाले सामाजिक संगठनों, वकीलों और सरकार के गलत कारनामों और नीतियों के खिलाफ लिखने और बोलने वाले पत्रकारों की ज़बान पर वे ताला लगाना चाहते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद जून और अगस्त के महीने में सिविल सोसाइटी के पांच कार्यकर्ताओं की हिरासत के बाद यह और प्रासंगिक हो जाता है।

भारत भूषण ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाने से पहले इसी सिविल सोसाइटी के पीछे 'विदेशी हाथ' होने की बात कही थी। मनमोहन सिंह काल में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के पीछे भी विदेशी खिलाड़ियों के होने की बात कही गई थी। विदेशी सहायता पाने वाले गैर सरकारी संगठनों की सूक्ष्म जांच और एफसीआरए के कानून को और कठोर बनाया गया। पी चिदम्बरम के गृहमंत्री रहते हुए यूएपीए को और कठोर बनाया और मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले प्रावधान जोड़े गए। जन अधिकारों की बात करने वालों को जेल में ठूंसा गया।

फिर भी आज स्थिति अलग है, नरेंद्र मोदी जैसा असामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री है। इस सरकार को अपनी विफलताओं के लिए किसी पर आरोप लगाने की ज़रूरत पहले से कहीं अधिक है। साम्प्रदायिकता और आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, दलितों, आदिवासियों पर जातीय हमलों में इज़ाफा हुआ है। छुपी हुई साम्प्रदायिकता को हिंदुत्व के नाम पर अब वैधानिकता मिल गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने असहमति की आवाज़ दबाने में भूमिका निभाई है। रहन-सहन, खान-पान, पहनावे के आधार पर घृणा के अपराध के बढ़ने, धर्म और जाति की बुनियाद पर दूसरों को नीच समझने जैसे विघटनकारी विचारों के प्रसार के लिए मीडिया का वह हिस्सा भी ज़िम्मेदार है जिसे 'गोदी मीडिया' के नाम से जाना जाने लगा है। साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा, मॉब लिंचिंग और यहां तक कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में भी मीडिया के एक वर्ग की भूमिका निम्न स्तरीय और पक्षपातपूर्ण रही है।

दस्तक पत्रिका की सम्पादक एवं मानवाधिकार नेत्री सीमा आज़ाद ने कहा कि यूं तो देश कॉरपोरेटी फासीवाद की ओर बढ़ ही रहा था लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसने मनुवादी फासीवाद को भी शामिल कर लिया है। भीमा कोरेगांव में हिन्दुत्ववादी संगठनों द्वारा कारित कराई गई हिंसा के सूत्रधारों सांभा जी भिड़े और एकबोटे को सत्ता का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त है और वंचित समाज के अधिकारों की बात करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों की गिरफ्तारी उसी फासीवादी-मनुवादी एजेंडे को थोपने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सहारनपुर जातीय हिंसा के नाम पर दलित समाज पर सत्ता पोषित तत्वों द्वारा सुनियोजित हमला और उसके बाद चद्रशेखर समेत दलितों की गिरफ्तारी व रासुका लगाना सत्ता के उसी फासीवाद को दर्शाता है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि यह समूह समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार देने को वर्ण व्यवस्था पर हमला मानता है और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को जेलों में डालना और फर्जी मुठभेड़ों में उनकी हत्या करना पहले की सरकारों में भी होता रहा है। कई बार नीतिगत स्तर पर भी हुआ है जिसे इस मनुवादी-फासीवादी सरकार ने और तेज़ किया है। बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ उसका उदाहरण है।

रिहाई मंच अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा कि दस साल पहले जो संघर्ष बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ के बाद सड़कों पर खड़ा हुआ वह आज इस मनुवादी फासिस्ट व्यवस्था के खिलाफ सहारनपुर से लेकर भीमाकोरेगांव तक आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस संघर्ष में सबसे अहम है कि युवा नेतृत्व तय कर रहा है कि उसका भारत मोदी का नहीं, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान वाला भारत होगा। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या और नजीब का अब तक पता न चलना साफ करता है कि ये नहीं चाहते कि वंचित समाज उच्च शिक्षा लेकर उनकी सड़ीगली व्यवस्था के खिलाफ मुखर हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ मॉबलिंचिंग करने वालों को केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं और दूसरी तरफ दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की मुठभेड़ के नाम पर हत्या की जा रही है और पीड़ितों पर ही रासुका लगाकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जा रहा है।

मुहम्मद शुऐब ने कहा कि मार्च 2007 में लखनऊ में सैफुल्लाह फर्जी मुठभेड़ के बाद आईएस के नाम पर कानपुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तारियां की गई। हाल में कानपुर से आतंकवाद के नाम पर हुई गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ रोहंगिया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है तो वहीं बांग्लादेशी के नाम पर पिछले साल से गिरफ्तारियां जारी हैं। इसी तरह 2007 में भी बांग्लादेशी के नाम पर गिरफ्तारियां की गई थी जिसके खिलाफ लड़कर उस झूठ को बेनकाब किया गया।

नागरिक परिषद के संयोजक रामकृष्ण ने कहा कि कालबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर, लंकेश की हत्या के बाद जिस तरीके से वंचितों की आवाज उठाने वाले गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, पी वरवर राव, वर्नन गोंसाल्विस को गिरफ्तार किया गया उससे इंसाफ की आवाज नहीं दबने वाली। लोकतंत्र, संविधान और साझी विरासत-साझी शहादत को बचाने की निर्णायक लड़ाई नए इतिहास का निर्माण करेगी।

रिहाई मंच नेता मसीहुद्दीन संजरी ने कहा कि बाटला हाउस के बाद सूत्रों के जरिए आने वाली अपुष्ट सूचनाओं और अपने बच्चों के बारे में सोच-सोचकर अधिकतर परिजन गहरे सदमे में पहुंच गए और दिल की बीमारी के शिकार हो गए। साजिद छोटा के पिता डाक्टर अंसारुल हस्सान बेटे की मौत की खबर के बाद बुत बन गए तो वहीं मां ने बिस्तर पकड़ लिया। आखिरकार डाक्टर साहब दुनिया का अलविदा कह गए। आरिफ बदर के पिता बदरुद्दीन चल बसे तो वहीं उसकी मां का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। आरिज खान के पिता जफर आलम, सलमान के दादा शमीम, अबू राशिद के पिता एखलाक अहमद अपने बेटों के गम में चल बसे। अबू राशिद के भाई अबू तालिब को पिछले दिनों दिल का दौरा पड़ा।

साजिद बड़ा के बारे में अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में तीन बार मारे जाने की खबरें सूत्रों के हवाले से आती रही हैं। जुलाई 2015 में सीरिया में उसके मारे जाने की खबर काफी चर्चा में रही। लेकिन 26 जनवरी 2018 को दिल्ली स्पेशल सेल ने जिन सम्भावित आतंकियों के खिलाफ एलर्ट जारी किया था उस सूची में आश्चर्यजनक रूप से साजिद बड़ा का नाम भी शामिल था। आतिफ अमीन और साजिद छोटा की बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी।

बाटला हाउस के बाद अब तक आज़मगढ़ के 15 नौजवानों को इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी कह कर गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके नाम मोहम्मद सैफ, जीशान अहमद, साकिब निसार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद हाकिम, मोहम्मद सरवर, सैफुर्रहमान अंसारी, शहज़ाद अहमद, सादिक शेख, ज़ाकिर शेख, आरिफ बदर, सलमान अहमद, हबीब फलाही, असदुल्लाह अखतर और मोहम्मद आरिज़ खान है।

सितम्बर 2008 से गिरफ्तारियों का यह सिलसिला शुरू हुआ और इस में अंतिम गिरफ्तारी 14 फरवरी 2018 को आरिज़ खान की हुई। आईएस से जुड़े होने के आरोप में अबू जैद को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा डाक्टर शाहनवाज़, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद, अबू राशिद, वासिक बिल्लाह, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद राशिद, शर्फुद्दीन और शादाब अहमद लापता हैं। इनमें अंतिम तीन के खिलाफ एनआईए ने 2012 में एफआईआर दर्ज की है जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं लेकिन किसी घटना का उल्लेख नहीं था।

'सदमा, साजिश और सियासत -बाटला हाउस के दस साल'' रिपोर्ट बताती है कि जहां तक मुकदमों की स्थिति का सवाल है तो दिल्ली में अभी लगभग आधे ही गवाह गुज़रे हैं। जयपुर में तेज़ी से मुकदमें की कार्रवाई आगे बढ़ी है और एक साल में फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। अहमदाबाद में, जहां सबसे अधिक 3500 के करीब गवाह हैं। अभी 7 अगस्त को एक आरोपी अतीकुर्रहमान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ से अर्जीगुज़ार ने कहा था कि उस पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और मुकदमों की सुनवाई में करीब 1100-1200 गवाह ही गुज़रे हैं। इस हिसाब से मुकदमा वर्षों तक चलता रहेगा इस तरह उसे कैद में रखना अन्यायपूर्ण होगा इसलिए उसे ज़मानत दी जाए। सरकार की तरफ से पेश असिस्टेंट सॉलिसिस्टर जनरल ने जवाब में माननीय न्यायालय को बताया कि अहमदाबाद धमाका केस का फैसला चार महीने में आ सकता है। उसके बाद अभियोजन ने गैरज़रूरी गवाहों को पेश न करने का फैसला किया।

रिपोर्ट में आज की परिस्थितियों में अदालती मामलों में सत्ता संरक्षण प्राप्त तत्वों की कारस्तानी और इंसाफ ही राह में रुकावटों के उल्लेख के साथ उत्तर प्रदेश कचहरी धमाकों में हूजी के साथ इंडियन मुजाहिदीन को जोड़कर उसे दोनों संगठनों की संयुक्त कार्रवाई बताए जाने पर उठे सवालों पर भी चर्चा की गई है।